संख्या- 116 /2023/ 795 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2023

विषय- दिनांक 22 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चैत्र नवरात्रि/ श्रीरामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0- 4388 /सं0नि0-15(104)/2022-23 दिनांक 14 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 22 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चैत्र नवरात्रि/ श्रीरामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. संस्कृति निदेशालय द्वारा रू0 1.00 लाख प्रति जनपद के आधार पर समस्त 75 जनपदों में जिला एवं सांस्कृतिक परिषद के खातों में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल कार्यक्रम में प्रस्तुति करने वाले कलाकारों के मानदेय हेतु किया जायेगा।
3. कार्यक्रम हेतु अन्य व्यवस्थायें जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित की जायेंगी।
4. समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि नही किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-12- आजादी का अमृत महोत्सव -42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 116 /2023/ 795 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. समस्त जिलाधिकारी/ समस्त जिला एवं सांस्कृतिक परिषद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in